

पत्रांक 390

/ W-15 / 122

दिनांक 6-5-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय- जनपद सिद्धार्थ नगर के खुनियांव की ग्राम पंचायत रमवापुर उर्फ विशुनपुर में निर्माणाधीन टंकी के संबंध में प्रसारित समाचार के स्पष्टीकरण विषयक आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार माध्यमों (आज तक, न्यूज 18, ए०बी०पी गंगा और डेलीहंट) द्वारा जनपद सिद्धार्थ नगर के खुनियांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत रमवापुर उर्फ विशुनपुर में पानी की टंकी गिरने की खबर प्रसारित की गई है। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं तकनीकी स्पष्टीकरण निम्नवत है-
निर्माण की स्थिति- निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय (OHT) का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका था। वर्तमान में जलाशय के ऊपरी हिस्से (जिंक एलम कंटेनर) के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर था।
कार्य विधि- कंटेनर इरेक्शन का कार्य अप्रूव्ड SOP/ मानक अनुरूप (टॉप टू बॉटम) (Top to Bottom) विधि के अनुसार किया जा रहा था। घटना के समय तक टॉप रूफ और टैंक की दीवार की कुल 4 रिगों में से 2 रिगों की बोल्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया था।

घटना का विवरण- दिनांक 04.05.2026 को अपराह्न लगभग 12:00 बजे अचानक तेज आंधी और वर्षा प्रारंभ हुई। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य स्थल पर कार्यरत समस्त श्रमिकों को तत्काल सुरक्षित नीचे उतार लिया गया था।

तकनीकी कारण- आंधी के दौरान हवा का वेग और दबाव अत्यधिक होने के कारण, टैंक का वह ऊपरी भाग जो चौनपुली के माध्यम से सस्पेंडेड (Suspended) अवस्था में था, वह एक तरफ विस्थापित होकर लटक गया।

क्षति का आकलन- इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के तत्काल बाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मुख्य सिविल स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की क्षति न होने की पुष्टि हुई है।

सुधारात्मक कार्यवाही- निर्माण एजेंसी (मेघा) को निर्देशित किया गया है कि विस्थापित भाग को सुरक्षित तरीके से हटाकर, गुणवत्ता एवं सुरक्षा ऑडिट (Quality and Safety Audit) पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः कार्य प्रारंभ किया जाए।

अतः महोदय की सेवा में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

(संजय कुमार जायसवाल)
अधिशासी अभियन्ता

प्र०स० एवं दिनांक एथोपरि:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (गो०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बस्ती।

अधिशासी अभियन्ता